न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–222 / 2022 — दायर दिनांकः 08.09.2022

GCMS NO:- 2022/406 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

चतुर्भुज आ0 रामचन्द्र जाति धाकड नि0 मानपुरा ग्राम पं0 खानपुरा तहसील नैनवॉ वगैरह
(कुल 18)
–प्रार्थीगण (रेस्पोडेंट)–

बनाम

कजोड आ0 गोरया जाति बलाई नि0 मानपुरा ग्राम पं0 खानपुरा तहसील नैनवॉ वगैरह
(कुल 18)
–अप्रार्थीगण (अपीलांट)–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण (रेस्पोडेंट) की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर।

अप्रार्थीगण (अपीलांट) की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 20.05.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम आंव का खेडा प0म0 खानपुरा मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 100, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 133, 136, 137, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 व 99 कुल किता 19 कुल रकबा 3.7213 हैक्टयर मे से खसरा नम्बर 110 पर जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 के खसरा नम्बरान 114, 115, 116, 117, 118 व अप्रार्थीगण संख्या 14 लगायत 18 के खसरा नम्बर 113 मे से रास्ता चाहा गया था जिस क्रम मे इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 11.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान मे निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 113, 114, 115, 117, 118 मे से रास्ता देने हेतु तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया गया।

अप्रार्थीगण कजोड वगै0 द्वारा उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां की गयी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.7.2022 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2021 को निरस्त करी अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मतद रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.7.2022 की पालना मे पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रत्यार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार नैनवॉ से प्रत्यार्थीगण की मौजुदगी मे पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया। उक्त क्रम मे तहसीलदार नैनवॉ से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमे एक वैकल्पिक रास्ता की अस्पष्ट रिपोर्ट पेश की। जिस पर प्रत्यार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के तीन रास्ते है तथा भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तीनों रास्तो का ना तो निरीक्षण किया और ना ही रिपोर्ट करी। जिससे पुनः मौका निरीक्षकण कर रिपोर्ट प्राप्त किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार नैनवॉ से वैकल्पिक रास्ते के संबंध मे स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने हेतु पत्र जारी किया गया जिस क्रम मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा वैकल्पिक रास्ते के संबंध मे स्पष्ट रिपोर्ट पेश की गयी।

पत्रावली पर बहस सूनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की ग्राम आंव का खेडा प0म0 खानपुरा मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्वरान 100, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 133, 136, 137, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 व 99 कुल किता 19 कुल रकबा 3.7213 हैक्टयर मे से खसरा नम्बर 110 पर जाने के लिए रास्ता रिकॉर्ड मे उपलब्ध नही होने से रास्ता दिलवाया जावे। जिस पर अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजुद है तथा प्रार्थीगण द्वारा जबरन उनकी भूमि मे से वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद भी रास्ता चाहा जा रहा है जो न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण के खेत मे जाने का मौके पर पहले से ही वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय दिनांक 28.7.2022, तहसीलदार रिपोर्ट व अन्य संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया

तथा पाया कि ग्राम आंव का खेडा मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 110 पर जाने का मौके पर वैकल्पिक रास्ता वर्तमान मे मौजुद है एवं चालू है। ग्राम आंव का खेडा से ग्राम बडवा की देवरिया वाले रास्ता जिस पर ग्रेवल सडक बनी हुई है जो उक्त खसरा नम्बर 110 की सीमा पर आ रही है। अतः माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय की पालना मे प्राप्त तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 7.1.2025 के क्रम मे प्रार्थीगण के खेत मे मौके पर वैकल्पिक चालू रास्ता होने से नया रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही होने से अप्रार्थीगण (अपीलाण्ट्स) द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा मे की गयी अपील मे प्रार्थीगण के खेत मे वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने का कथन सही पाया जाने से प्रार्थीगण (रेस्पोडेंट्स) द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर क़र खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा